न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 15/2021 (18 आयुध अधिनियम 1959)(RCMS No.2021/15)

रमेश मोग्या पुत्र गुल्या मोग्या निवासी मोरण थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 09.08.2018

उपस्थितिः—

श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 29.08.2022

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 9.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहत अदालत द्वारा आदेश दिनांक 26.4.2012 से अपीलान्ट रमेश मोग्या का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 484 निरस्त किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील दायर की गई। न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 67/2013 रमेश मोग्या बनाम सरकार दर्ज कर बाद कार्यवाही दिनांक 18.12.2015 को निर्णय पारित करते हुये तहत अदालत के आदेश दिनांक 26.4.2012 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को रिमाण्ड किया गया कि वे अपीलान्ट के चरित्र एवं उस पर दायर मुकदमें एवं उन मुकदमों के परिणाम आदि की विस्तृत तथ्यात्मक रिपोट प्राप्त कर अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। न्यायालय हाजा के पूर्व पारित निर्णय दिनाक 18.12.2015 की पालना में तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलधीन आदेश दिनांक 09.08.2018 पारित किया है जिसमें अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि के मध्यनजर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल नहीं करते हुये अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 को यथावत रखा गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। यह कि प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूर्व आदेश गुणावगुण के अधार पर पारित करना प्रमाणित नहीं पाये जाने पर इस निर्देश के साथ तहत अदालत को रिमाण्ड किया गया था कि वे आर्म्स एक्ट की धारा 13 में अपेक्षित जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर से अपीलान्ट के चरित्र एवं उस पर दायर मुकदमों एवं उनके परिणामों आदि के संबध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर धारा 17 (3) की मंशा के अनुसार तार्किक एवं न्याय संगत निर्णय पारित करें, किन्तु तहत अदालत द्वारा न्यायालय हाजा के उक्त रिमाण्ड आदेश की कतई पालना न कर मनमाने तरीके से बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। यह कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का कतई अवलोकन नहीं किया जिन प्रकरणों का हवाला देकर अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया है उन सभी प्रकरणों में अपीलान्ट को वरी किया जा चुका है तथा उनमें से कुछ प्रकरण तो काफी पुराने है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने प्रकरण से वरी होने बाबत सभी दस्तावेज पेश कर दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इन पर गौर किये बिना किसी ठोस आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्तनीय है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में किसी भी प्रकरण में अपीलान्ट ने अपने शस्त्र का दुरूपयोग नही किया है। तथा न ही अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में शस्त्र का दुरूपयोग किये जाने का ही कोई उल्लेख है। शस्त्र का दुरूपयोग किये जाने का की कोई शिकायत भी अपीलान्ट के विरूद्ध अदालत मातहत में प्राप्त नहीं हुई है, तथा अपीलान्ट के विरूद्ध जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं वे सभी दस वर्ष से पुराने हैं। अपीलान्ट का शस्त्र काफी पुराना है और नियमानुसार नियमित रूप से नवीनीकरण होता रहा है। अपीलान्ट के द्वारा भी नियमित रूप से समय समय पर शस्त्र धारक होने की हैसियत से अनुज्ञापन अधिकारी के हर आदेश की पालना की गई है। इसके अलावा अपीलान्ट के द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग बाबत कोई प्रकरण आज तक किसी भी प्रकार का किसी भी थाने में अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है। शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नियमों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट के द्वारा उस पर दायर मुकदमों में बरी होने का तथ्य जब तहत अदालत के समक्ष पेश कर दिया गया था और तहत अदालत के संज्ञान में तथा ऑन रिकार्ड अपीलान्ट का सभी मुकदमों में बरी होने का तथ्य स्पष्ट हो चुका था बाबजूद इसके अपीलाधीन आदेश में यह आधार बनाया जाना कि अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि है न्यायोचित नहीं है। यह कि आज्ञा दिनांक 09.08.2018 की बाबत अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी अपीलान्ट लगातार कार्यालय में अपनी पत्रावली के बारे में पूछता रहा है लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं

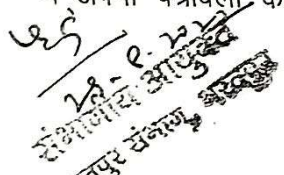

मिला। उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर कार्यालय से दिनांक 10.12.2020 को ज्ञात हुआ कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 09.08.2018 को निरस्त कर दिया गया है। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 10.12.2018 को नकल के लिये आवेदन किया। नकल अपीलान्ट को दिनांक 01.01.2021 को प्राप्त हुई। जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र दफा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न है। इसलिए जानकारी होने की तिथि से अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि पेश है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नही होकर पूर्व में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही पारित किया गया है। जबकि अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 18.12.2015 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर आर्म्स एक्ट की धारा 13 में अपेक्षित जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर की अपीलान्ट के चरित्र एवं उस पर दायर मुकदमों एवं उनके परिणामों आदि के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करें। अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर एवं धारा 17(3) की मंशा के अनुरूप तार्किक एवं न्याय संगत निर्णय पारित करें परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय 09.08.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उक्त अपील में गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.08.2018 को पारित किया गया है तथा इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अपील दिनांक 15.01.2021 को अदालत हाजा में पेश की गई है। जिसे अदालत हाजा द्वारा दिनांक 25.01.2021 को सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज किया गया है। मियाद के संबंध में अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.12.2020 को होने तथा जानकारी होते ही निर्णय की नकल हेतु आवेदन किये जाने व अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 01.01.2021 को प्राप्त होने से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अपील पेश होने पर रैस्पों0 की तलबी जरिये सम्मन की गई परन्तु रैस्पों0 की विधिवत तामील होने के बावजूद भी कोई भी उपस्थित नहीं हुए और न ही अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का प्रतिउत्तर अथवा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। दूसरी ओर अदालत मातहत के अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर की ओर से जारी नोटिस दिनांक 20.07.2018 का जबाव दिनांक 02.08.2018 को प्रस्तुत किया गया है, परन्तु निर्णय दिनांक को अपीलान्ट की उपस्थिति के संबंध में पत्रावली में कोई रिकार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से मियाद के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के

संभागीय आयुक्त
जयपुर संभाग, जयपुर

प्रार्थना पत्र व शपथ में वर्णित तथ्यों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रहता है। वैसे भी मियाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी तरह आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त से सादर सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो विद्वान जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.08.2018 अदाजत हाजा की ओर से अपील संख्या 67/2013 उनवान रमेश मोग्या बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2015 में दिये गये निर्देशों की पालना में पारित किया गया है। अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 18.12.2015 की प्रति प्राप्त होने पर अदालत मातहत की ओर से अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया तथा पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से अपीलान्ट के पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के संबंध में 5 बिन्दुओं के बारे में रिपोर्ट दिनांक 17.03.2016 को मांगी गई। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की रिपोर्ट पत्र दिनांक 11.04.2016 के द्वारा प्रेषित की गई। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को पुनः पत्र दिनांक 19.12.2017 लिखा गया, जिसमें अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 18.12.2015 के परिपेक्ष्य में विस्तृत रिपोर्ट मय चरित्र आदि के संबंध में भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2018 के द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें अपीलान्ट की आम शौहरत खराब होने व समस्त आपराधिक प्रकरणों की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा की गई। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट को जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर की ओर से पुनः दिनांक 02.08.18 को पक्ष रखे जाने हेतु नोटिस दिनांक 20.07.2018 को दिया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का हवाला भी दिया गया। जिसकी पालना में अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 02.08.2018 को पुनः जबाव प्रस्तुत किया गया। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाव व पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर अपीलान्ट के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का आदेश पारित किया। जिसकी पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.08.2018 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया तथा अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई, सारहीन हो जाता है, क्योंकि अदालत हाजा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2015 में अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर को आर्म्स एक्ट की धारा 13 में अपेक्षित जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर की अपीलान्ट के चरित्र व उस पर दायर मुकदमों एवं उनके परिणामों आदि के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने व अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर धारा 17(3) की मंशा के अनुसार तार्किक एवं न्यायसंगत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाव व पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट का उल्लेख कर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2012 को यथावत रखा है जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.08.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.8.2022

(सांवर मल वर्मा)

संभागीय आयुक्त

भरतपुर

संभागीय आयुक्त

भरतपुर संभाग, भरतपुर